न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/2

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	**अभियुक्त :–** 1. श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री रतनलाल जैन, मैसर्स मनीष ट्रेडर्स, मेन रोड, आंबापुरा, बॉसवाडा 2. श्रीमती प्रियंका पत्नि श्री विनीत जैन, विनीत एजेन्सी नया बस स्टेण्ड के सामने, बॉसवाडा 3. श्री मनीष गर्ग, आर.सी. इन्टरप्राईजेज, 74/37 इण्डस्ट्रीयल एरीया, मेक्सी रोड, उज्जैन (एम.पी.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15.02.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 18–01–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 04–03–2021 को 01.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स मनीष ट्रेडर्स, मेन रोड, आंबापुरा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री रतनलाल जैन** उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में **माउथ फेशनर (ब्राण्ड नखराली गोल्ड) के 35 पैकेट मुल पैकेट (प्रत्येक पैकेट 300–300 ग्राम का)** आम जनता को विक्रय हेतु पाये गए। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **माउथ फेशनर (ब्राण्ड नखराली गोल्ड) के 8 पैकेट नमुना जॉच हेतु क्रय कर इनकी कीमत 480/– रु.** विक्रेता को चुक्ता कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना [illegible] हे[illegible] खरीदशुदा **माउथ फेशनर (ब्राण्ड नखराली गोल्ड) के 8 पैके**[illegible] सीलबन्द किया गया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग [illegible] फार्म नं. 6 की प्रति [illegible]वर में सील बन्द कर सील मोहर कर चौथा भाग जांच हेतु डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:06:47 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)

Scanned with CamScanner

स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2021 / 159–160 दिनांक 09.04.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 43 दिनांक 17.03.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किये गए **माउथ फ्रेशनर (ब्राण्ड नखराली गोल्ड)** Misbranded food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) *of food safety and standards* act 2006 होना पाया जाने से विक्रेता **श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री रतनलाल जैन, मैसर्स मनीष ट्रेडर्स, मेन रोड, आंबापुरा, बॉसवाडा, श्रीमती प्रियंका पत्नि श्री विनीत जैन, विनीत एजेन्सी नया बस स्टेण्ड के सामने, बॉसवाडा, श्री मनीष गर्ग, आर.सी. इन्टरप्राईजेज, 74 / 37 इण्डस्ट्रीयल एरीया, मेक्सी रोड, उज्जैन (एम.पी.)** द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 19–01–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 15.02.2022 को अभियुक्त **श्रीमती प्रियंका पत्नि श्री विनीत जैन, विनीत एजेन्सी नया बस स्टेण्ड के सामने, बॉसवाडा एवं श्री मनीष गर्ग, आर.सी. इन्टरप्राईजेज, 74 / 37 इण्डस्ट्रीयल एरीया, मेक्सी रोड, उज्जैन (एम.पी.)** की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा, श्री शैलेन्द्र शर्मा, श्री अजय पाण्डेय, श्री चन्द्रेश मेहता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अभियुक्तगण सं. 2 व 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। **श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री रतनलाल जैन, मैसर्स मनीष ट्रेडर्स, मेन रोड, आंबापुरा** की मृत्यु दिनांक 10.01.2022 को हो गई है एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में आरोपी सं. 2 व 3 द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2021 / 159–160 दिनांक 09.04.2021 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 43 दिनांक 17.03.2021 अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:06:47 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

(5)

विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किये गए **माउथ फ्रेशनर (ब्राण्ड नखराली गोल्ड)** Misbranded food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) of food safety and standards act 2006 होना पाया जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। अप्रार्थी सं. **श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री रतनलाल जैन, मैसर्स मनीष ट्रेडर्स, मेन रोड, आंबापुरा** की मृत्यु दिनांक 10.01.2022 को हो जाने से मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत हुआ है। अतः मृतक के विरुद्ध प्रकरण में कार्यवाही निरस्त की जाती है। प्रकरण में अभियुक्तगण सं 2 व 3 द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) के तहत विक्रेता द्वारा मिसब्राण्डेड पाये गए **माउथ फ्रेशनर (ब्राण्ड नखराली गोल्ड)** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्रीमती प्रियंका पत्नि श्री विनीत जैन, विनीत एजेन्सी नया बस स्टेण्ड के सामने, बॉसवाडा को 5,000/– (अक्षरे रू. पॉच हजार मात्र), श्री मनीष गर्ग, आर.सी. इन्टरप्राईजेज, 74/37 इण्डस्ट्रीयल एरीया, मेक्सी रोड, उज्जैन (एम.पी.) को 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:06:47 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner